प्रेस नोट- थाना मिर्जापुर

जनपद शाहजहांपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 29.04.2026

थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अपराध में वांछित अभियुक्त को आला कत्ल(फावडा) सहित किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में एंव क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष मिर्जापुर के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम, चोरी-लूट-अवैध शराब/शस्त्र बिक्री-निर्माण व अभियान तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी के क्रम में थाना मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 28.04.2026 को वादिनी श्रीमती ममता पुत्री क्षत्रपाल निवासी ग्राम नई बस्ती भौती थाना मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर द्वारा प्रस्तुत एक लिखित तहरीर के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0-0075/2026 धारा 103(1)/115(2)/352 बीएनएस बनाम क्षत्रपाल पुत्र नामालूम निवासी ग्राम नई बस्ती भौती थाना मिर्जापुर शाहजहाँपुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष मिर्जापुर द्वारा सम्पादित की जा रही है। प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारीगण द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में वांछित अभियुक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया।

इसी क्रम मे आज दिनांक 29.04.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा शान्ति/कानून व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग, वांछित अभियुक्तों की तलाश तथा अपराध की रोकथाम हेतु क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना एवं निशानदेही के आधार पर अभियुक्त क्षत्रपाल पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम नई बस्ती भौती, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर को कलान रोड सौनेक तिराहे से रात्रि समय करीब 02:35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

क्षत्रपाल पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम नई बस्ती भौती थाना मिर्जापुर शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-0075/2026 धारा 103(1)/115(2)/352 बीएनएस थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त क्षत्रपाल निवासी उपरोक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने अपनी पत्नी सोमवती के साथ घरेलू विवाद के चलते आक्रोशित होकर उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। घटना के उपरांत अभियुक्त ने हत्या में प्रयुक्त फावड़ा (आलाकत्ल) को अपने मकान के पास स्थित पप्पू की बंद दुकानों के बरामदे के एक कोने में छुपा दिया था तथा वह मौके से भागने की फिराक में था, तभी पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर उक्त स्थान से फावड़ा (आलाकत्ल) बरामद किया गया। अभियुक्त ने बरामद फावड़े की पहचान करते हुए बताया कि इसी से उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। बरामदगी के उपरांत आलाकत्ल को विधिक प्रक्रिया के तहत कब्जे में लिया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी का स्थान, समय, दिनांक -

कलान रोड सौनेक तिराहे पर थाना मिर्जापुर, दिनांक-29.04.2026, समय करीब 02.35 बजे,

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. थानाध्यक्ष सोनी शुक्ला, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 रामपाल सिंह, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 यशपाल सिंह , थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 सौरभ सोम, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।